छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर

CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL:RAIPUR

(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)
First Floor, Dr. Balmukund Sharma Clinic, Kankalipara, Near Nagar Nigam Ayurvedic Hospital, Raipur – 492001 (C.G.)

Tel. & Fax No. 0771-2543393 www.cgmedicalcouncil.org E-mail: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

क्रमांक/सीजीएमसी/शिका.–124/2020/701 रायपुर दिनांक :– 24/08/2020

//आदेश//

विषयान्तर्गत लेख है कि यूरोलॉजी सोसायाटी के द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत में डॉ. वरूण ताम्रकार, दुर्ग रोड सिंघोरी, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ Consultant Urologist & Andrologist के विरूद्ध शिकायत फाईल क्रमांक 124/2020 दिनांक 14.02.2020 को शिकायत प्रकरण छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल में दर्ज कराई गई है, जिसमे Chhattisgarh Urology Society के द्वारा शिकायत मे कहा गया है कि पूर्व मे डॉ. वरूण ताम्रकार के द्वारा Consultant Urologist & Andrologist न होते हुए भी स्वंय Consultant Urologist & Andrologist लिखते थे, जिसमे दिनांक 26.12.2017 को छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल के द्वारा डॉ. वरूण ताम्रकार, के पंजीयन को एक माह के लिए निलंबन किया गया था। जिसमे वह Consultant Urologist & Andrologist न होते हुए भी स्वयं को Consultant Urologist & Andrologist लिखते थे।

वर्तमान मे डॉ. वरूण ताम्रकार, दुर्ग रोड सिंघोरी, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ के द्वारा Consultant Urologist & Andrologist न होते हुए भी स्वयं को Consultant Urologist & Andrologist लिख रहे है एवं Urologist & Andrologist की विधा में चिकित्सकीय शल्यक्रिया की जा रही है जबकि कि छत्तीसगढ मेडिकल कौंसिल के आदेश के पश्चात स्वंय डॉ. वरूण ताम्रकार, द्वारा अपने लिखित जवाब मे यह कहा गया था कि मै स्वंम को Consultant Urologist & Andrologist नही लिखुंगा। जबकि वर्तमान मे डॉ. वरूण ताम्रकार अपने आप को Consultant Urologist & Andrologist लिख रहे है एवं Urologist & Andrologist की विधा में चिकित्सकीय शल्यक्रिया की जा रही है, जो कि छत्तीसगढ मेडिकल कौंसिल के आदेश एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली के नियमो के विरूद्ध है।

छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल की विडियो कॉम्फ्रेस के माध्यम से दिनांक 14.08.2020 को बैठक आहूत की गई, बैठक में उक्त प्रकरण की विवेचना करने पर सदस्यो के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डॉ0 वरूण ताम्रकार, को पूर्व मे भी इस शिकायत प्रकरण मे उनका पंजीयन एक माह के लिए निलंबित किया गया था एवं इस विषय मे उनको चेतावनी भी दी गई थी जिसके बाद भी वह वर्तमान मे अपने आप को Consultant Urologist & Andrologist लिख रहे है एवं उस विधा मे चिकित्सकीय शल्यक्रिया कर रहे है जो छत्तीसगढ मेडिकल कौंसिल के आदेश एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई

क्रमशः–..........2

दिल्ली के नियमो के विरूद्ध है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली से इस शिकायत प्रकरण मे अभिमत प्राप्त किया जाये एवं वर्तमान मे अभिमत प्राप्त होने तक डॉ. वरूण ताम्रकार के पंजीयन को निलंबित किया जाये।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की धारा 1.2.1 व 7.20 एवं 8.1व 8.2 धारा (Professional Conduct Etiquette and Ethics Regulation 2002) के विपरीत है। अतः डॉ. वरूण ताम्रकार, दुर्ग रोड सिंघोरी जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ को दिनांक 24.08.2020 से आगामी तिथि तक छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् से पंजीयन को निलंबित किया जाता है। इस अवधि में डॉ. वरूण ताम्रकार कोई भी चिकित्सकीय कार्य नही कर सकेगे एवं डॉ. वरूण ताम्रकार को आदेशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के तीन दिनो के भीतर छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल के द्वारा जारी मूल पंजीयन प्रमाण पत्र (सीजीएमसी 7450/2017 दिनांक 25.07.2017) को परिषद् के कार्यालय में तत्काल अनिवार्य रूप से जमा करें। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् की पंजी में डॉ. वरूण ताम्रकार के प्रविष्टि के स्थान पर निलंबन के विषय में अंकित किया जाता है।

(डॉ0 श्रीकांत राजिमवाले)
रजिस्ट्रार
छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर

पृ. क्रमांक सीजीएमसी/शिका–124/2020/702 — रायपुर दिनांक 24/08/2020

प्रतिलिपिः–

(1) सचिव, मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, इंद्रावती भवन, तृतीय तल नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।

(3) संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

(4) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(5) समस्त स्टेट मेडिकल कौंसिल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(6) यूरोलॉजी सोसायटी छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(7) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

(8) समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त मेडिकल कॉलेज छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

(9) चिकित्सा से संबंधित समस्त सोसाइटी एवं एसोसिएशन छ.ग. की ओर सूचनार्थ।

(10) डॉ. वरूण ताम्रकार, दुर्ग रोड सिंघोरी, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(11) कार्यालयीन प्रति।

CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL — छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद — C.G.M.C. — रायपुर

(डॉ0 श्रीकांत राजिमवाले)
रजिस्ट्रार
छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर

O/C